दिनांक	हुक्म या कार्यवाही	दिनांक
	6/9/21 पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण लोक अदालत कैम्प को निस्तारण योग्य होने से पत्रावली लोक अदालत कैम्प कोर्ट में दिनांक 11/12/21 को रखा गया।	
11/12/21	आज यह पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प कोटकासिम मे पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उप०। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा कि विवादित आराजीयात ग्राम पालपुर मे प्रार्थीगण के पिता का नाम राजस्व जमाबन्दीयात में सहवन से लालाराम के स्थान पर लक्ष्मीनारायण दर्ज हो गया है। इसकी ताईद के लिए प्रार्थी ने आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड आदि पेश किये है। प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात ग्राम पालपुर से लक्ष्मीनारायण का नाम हफ्ज कर लालाराम किया जावे। तहसीलदार कोटकासिम रिपोर्ट संलग्न है। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया, पत्रावली एंव संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, में प्रार्थीगण के पिता का नाम लालाराम पुत्र हरिसिंह अंकित है। इसलिये दुरुस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आराजी हाल ख०नं० 1285 व 1287 वाके ग्राम पालपुर मे प्रार्थीगण के पिता का नाम लक्ष्मीनारायण के स्थान पर लालाराम दुरुस्त किया जावे। तहसीलदार कोटकासिम को अहकाम जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील लोक भण्डार हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 11:07:27 IST
Reason: SelfAttested